

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय :- सहायक कलेक्टर आमेर मु0 जयपुर
युवराज शर्मा बनाम विकास कुमार शर्मा वगै0

केस संख्या : प्रा. पत्र. 151 सीपीसी 02/2022

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
31.8 2022		<p>पत्रावली प्रस्तुत। वकील शर्मा उपस्थित। अपार्थी ने साबिक शोध की पालना है। साथ साथ न्यायालय के साथ दिनांक 12/10/2022 को पेश है। पत्रावली वास्तविक तलवी दिनांक 12/10/2022 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर</p>
12/10 2022		<p>पत्रावली में न्यायालयीन अधिवारी महोदय " स्वामान्तराज्य " के द्वारा पेश की गई पूर्वानुसार दिनांक 28/11/2022 को पेश है।</p>
02/11 2022		<p>पत्रावली प्रस्तुत। वकील शर्मा ने अपार्थी (गि) के नोटिस साबिक शोध की पालना में पेश नहीं किए हैं। अनेक अवसर दिए जा चुके हैं परन्तु शर्मा ने न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं की है। अतः प्रो.पत्र/पत्रावली 0925 के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली केवल शुभ होकर दाखिल पत्र है।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर</p>